

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/210

दायरा दिनांक : 09.12.2024

उनवान

1. दिनेश कुमार आयु 63 वर्ष पुत्र प्रभूलाल, जाति महाजन
2. प्रमोद कुमार आयु 60 वर्ष पुत्र प्रभूलाल, जाति महाजन
3. किशन कुमार आयु 55 वर्ष पुत्र प्रभूलाल, जाति महाजन
निवासीगण अस्पताल रोड़, बारां, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांत

बनाम

1. यादव कुमार आयु 55 वर्ष पुत्र बजरंगलाल, जाति धाकड़, निवासी हापाहेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अन्ता, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोंडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक अपीलांत की ओर से
श्री ओ. पी. मेहता अभिभाषक रेस्पोंडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 17.04.2026


यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 44/2015 निर्णय दिनांक 15.07.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 63(4), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर, एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम हापाहेड़ी, पटवार क्षेत्र हापाहेड़ी, तहसील अन्ता की आराजी जमाबंदी संवत 2069-2072 की आराजी खसरा नं. 257 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं. 259 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नं. 473 रकबा 1.59 हेक्टर, खसरा नं. 473/656 रकबा 0.60 हेक्टर कुल 4 किता कुल रकबा 2.61 हेक्टर में से खसरा नं. 473 रकबा 1.59 हेक्टर, खसरा नं. 473/656 रकबा 0.60 हेक्टर कुल 2 किता कुल रकबा 2.19 हेक्टर विवादित आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता ने अपने निर्णय दिनांक 15.07.2024 से वाद निस्तारण तक आराजी ग्राम हापाहेड़ी, तहसील अन्ता में खसरा नं. 473 रकबा 1.59 हेक्टर व खसरा नं. 473/656 रकबा 0.63 हेक्टर पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर आदेशित किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांत ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा



अपील में अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद रेसपो० क्रम 1 ने अपीलान्ट्स के विरुद्ध अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 92 ए, 63 (4) व 188 राज०टी०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज० टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.07.2024 को आदेश प्रदान करते हुए आदेश प्रदान किया है कि आराजी विवादग्रस्त है जिसमें प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन व अपूर्ण क्षति का बिन्दु वादी व प्रतिवादी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उक्त वाद के निस्तारण तक आराजी जमाबंदी मुताबिक सम्वत 2069 से 2072 खसरा नंबर 473 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा नंबर 473/656 रकबा 0.63 हेक्टेयर कुल कित्ता 2 रकबा 2.22 हेक्टेयर पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर आदेशित किया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण (प्रार्थीगण व अप्रार्थी) रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय/आदेश कतई गैरकानूनी है तथा विधि संगत नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेसपो० ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम हांपाहेडी, तहसील अन्ता की आराजी जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 आराजी खसरा नंबर 473 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा नंबर 473/656 रकबा 0.63 हेक्टेयर कुल किला 2 रकबा 2.22 हेक्टेयर स्थित है जिसे विवादित आराजीयात के नाम से उल्लेखित किया है। उक्त आराजीयात अर्सा 70-80 वर्षों से प्रार्थी/रेसपो० व उसके पिता बजरंगलाल व दादा गज्जा उर्फ गजानंद के स्वामित्व एवं कब्जे काशत की है जिस पर रेसपो० के दादा अपने जीवनकाल तक काबिज काशत रहे, उनके देहान्त के बाद अपीलान्ट के पिता बजरंगलाल काबिज काशत रहे। बजरंगलाल द्वारा अपने चारों पुत्रों कान्ता प्रसाद, नरेन्द्र कुमार, यादव कुमार एवं प्रार्थी अशोक कुमार के मध्य बाहमी बंटवारा कर दिया। उक्त आराजी खाते में रेसपो० के बड़े भाई कान्ता प्रसाद के नाम थी तथा बाहमी बंटवारे के मुताबिक पारिवारिक सहमति से रेसपो० के हिस्से में प्राप्त हुई जिसके बाहमी बंटवारे के समय से ही निरन्तर रेसपो० का बेरोक टोक कब्जा काशत चला आ रहा है किन्तु उक्त आराजी गलत रूप से अपीलान्ट क्रम 1 व 2 के पिता प्रभूलाल महाजन द्वारा यह कह कर कि तुम्हारा माल मेरी आढत पर बिकता है। आयकर से बचने के लिए रेसपो० के पिता ने रेसपो० के बड़े भाई कान्ता प्रसाद को तहसील में ले जाकर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता के अनुसार उनकी बातों पर विश्वास करके लिखा पढी कर हस्ताक्षर कर दिये। आराजीयात पर हमेशा कब्जा पहले प्रार्थी के पिता व बजरंगलाल एव पारिवारिक बंटवारे के बाद प्रार्थी का निरन्तर आज तक चला आ रहा है। प्रार्थी का आज भी निरन्तर कब्जा काशत होने से उसके हकूक परिपक्व हो चुके हैं तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी प्रार्थी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी का कब्जा काशत बाबत पटवार मण्डल हांपाहेडी की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.07.2014 से प्रमाणित है। प्रार्थी के हक में ताफैसला वाद उक्त आराजीयात को कहीं रहन बै गिरवी हस्तान्तरण न करें, मौके की




(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पवेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यथारिथति बनाये रखने हेतु आदेश पारित फरमावे। उक्त प्रार्थना पत्र रेस्पो० क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का अपीलान्ट ने जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा समस्त प्रार्थना पत्र की मदों को अस्वीकार किया। रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र कतई गलत एव झूठे तथ्यों के आधारों पर आधारित होने से अस्वीकार किया तथा कथन किया कि उक्त विवादित भूमि रेस्पो० के बड़े भाई कान्ता प्रसाद खातेदार ने अपीलान्ट क्रम 1 व 2 को दिनांक 18.06.1991 को 41000/- रुपये में जर्गे रजि० विक्रय पत्र बेचान किया है तथा वक्त बेचान उक्त आराजियात पर कब्जा संभलाया है। अपीलान्ट उक्त भूमि के बोनाफाइड परचेजर हैं। रेस्पो० को उक्त आराजियात पर कोई एडवर्स पजेशन प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही रेस्पो० कानूनन एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है और भूमि उसके कब्जे काशत में नहीं होने व खातेदार न होने पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी कानूनन अधिकारी नहीं है। दिनांक 09.07.2014 को हल्का पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है, पटवारी हल्का ने रेस्पो० के राजनैतिक दबाव एवं प्रभाव में आकर गैरकानूनी रूप से बनाई है। कानूनन पटवारी हल्का को कब्जे बाबत उक्त रिपोर्ट बनाने का कोई अधिकार नहीं था, ना ही उक्त रिपोर्ट इस स्तर पर कोई कानूनी मान्यता रखती है। अपीलान्ट्स उक्त भूमि के खातेदार टिनेन्ट है जो बाद खरीद उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काशत चले आ रहे हैं जिस पर रेस्पो० को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। रेस्पो० का विवादित भूमि पर कब्जा काशत न होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर कानूनी खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है तथा दावा कानूनी प्रावधानों के विपरीत भूमि पर कब्जे के बिना प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। एडवर्स पजेशन के लिए रेस्पो० को यह जाहिर करना होता है कि उसने किस तारीख से उक्त भूमि पर व जानकारी अपीलान्ट जायज 12 वर्ष से अधिक समय से काबिज काशत चला आ रहा है ऐसा कोई प्रमाण उक्त वाद में प्रस्तुत नहीं किया है एवं वादी कानूनन एडवर्स पजेशन के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी व नालिशी भी नहीं है। अपीलान्ट्स उक्त भूमि के बोनाफाइड परचेजर है तथा अपनी भूमि स्वयं काशत करते हैं तथा मुनाफे पर काशत करवाते हैं जिसके तहत रेस्पो० ने वर्ष 2003 में एक तहरीर मुनाफे की लिखकर अपीलान्ट्स को दी हुई है उसके बाद वर्ष 2013 में भी 2-3 वर्ष के लिए भूमि मुनाफा पर काशत करवाई हुई है, मगर रेस्पो० ने मुनाफा राशि अपीलान्ट्स को अदा नहीं की और अदा करने का विश्वास दिलाकर सन् 2017 तक काशत करता रहा। मुनाफा काशत कराने से प्रार्थी को कोई प्रतिकूल कब्जे का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अपीलान्ट्स ने वर्ष 2017 से 18 में उक्त भूमि लोकेश मीणा व ललित मीणा को मुनाफे पर काशत करवाने हेतु दी क्योंकि रेस्पो० ने मुनाफे की राशि अपीलान्ट्स को अदा नहीं की थी तथा वर्ष 2015 में फसल के नुकसान का मुआवजा भी अपीलान्ट्स ने प्राप्त किया है। दिनांक 01.07.2017 व दिनांक 06.07.2017 को रेस्पो० व उसके भाई कान्ता प्रसाद, यादव कुमार, नरेन्द्र कुमार द्वारा




(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
 सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उक्त जमीन को जबरन हांकने पर पुलिस थाना अन्ता में राजेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश व अनिल बंसल ने दिनांक 06.07.2017 को उक्त चारों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था जो 143, 147, 336, 506 भा०द०सं० एफ आई आर नंबर 289/2017 में दर्ज किया गया जिसका चालान पुलिस ने दिनांक 24.07.2017 को न्यायिक मजि०, अन्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका मुकदमा नंबर 38/2017 है जिसमें मुलजिमान ने अपना जुर्म स्वीकार किया। दिनांक 11.09.2017 को रेस्पो० व उसके भाइयों ने अपीलान्ट्स के मुनाफेदार द्वारा बोई हुई फसल काट ली थी जिसकी रिपोर्ट मुनाफेदार लोकेश व ललित मीणा ने थाना अन्ता में पेश की जिसकी एफ आई आर नंबर 359/2017 अंतर्गत धारा 147, 447, 379, 444 भा०द०सं० व धारा 3 में दर्ज की गई।



अपीलान्ट्स उक्त भूमि के खातेदार टिनेन्ट है जो कभी स्वयं काशत करते हैं कभी मुनाफे से काशत करवाते हैं किन्तु रेस्पो० का कभी भी उक्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जा/एडवर्स पजेशन नहीं रहा है और ना ही वे उक्त एडवर्स पजेशन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। अपीलान्ट्स ने उक्त प्रकरण में अपना काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है एवं अपने पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ रेस्पो० चाही गई है जिसे वह खातेदार टिनेन्ट होने व भूमि उनके कब्जे काशत में होने से रेस्पो० के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है। रेस्पो० ने सिविल न्यायालय में उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.06.1991 को खारिज कराने हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश, अन्ता के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था जो खारिज हो चुका है। अतः रेस्पो० को अब उक्त विवादित आराजियात बाबत कोई कानूनी अधिकार शेष नहीं रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपरिमित क्षति बाबत वादी व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय पारित कर गैरकानूनी आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्ट्स के पक्ष में साबित है क्योंकि अपीलान्ट्स उक्त विवादित आराजियात के खातेदार काशतकार हैं और उक्त विवादित आराजियात को वह स्वयं व अपने मुनाफेदारों से काशत करवाते आ रहे हैं जिसके बाबत उन्होंने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की है तथा सुविधा का संतुलन भी उन्हीं के पक्ष में है एवं उक्त विवादित आराजियात को गैरकानूनी रूप से रेस्पो० द्वारा नष्ट करने पर अपीलान्ट्स को अपूर्ण क्षति होती है इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा तीनों बिन्दु न्यायालय में पूरी तरह से साबित किये हैं। जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय ने गम्भीरतापूर्वक कानूनी रूप से अवलोकन किये बिना विवादित आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलान्ट्स का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर रेस्पो० का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०टी०एक्ट खारिज फरमाने की कृपा करें।

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पब्लिक
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटद्वारा


अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम हापाहेडी की है जो रेस्पोंडेंट के दादा बजरंग लाल की आराजी थी। वादी रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा किया। वादी रेस्पोंडेंट बाहमी बंटवारे के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। बजरंग लाल ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से तीनों अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का बेचान किया था। लगभग 60-70 सालों से वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी का नामान्तरण हमारे नाम दर्ज हो चुका है। वादी रेस्पोंडेंट एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा का दावा लेकर आये हैं। हम व्यापारी व्यक्ति हैं हम व्यापार करते हैं जबकि रेस्पोंडेंट हमारे आडतिये थे, हमने रेस्पोंडेंट को मुनाफा काश्त पर वादग्रस्त आराजी दे रखी थी। अधीनस्थ न्यायालय में हमने तहरीर पेश की है। हम वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं, एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है जो गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 2019 आर. आर.डी. पेज 418 की नजीर उद्धरत की। दावा एडवर्स पजेशन का है। सेल का रजिस्टर्ड दस्तावेज है। अतः बेचान से ही कब्जा ट्रान्सफर हो गया। यह दस्तावेज खारिज नहीं करवाया। मुनाफा काश्त का दस्तावेज पेश कर रखा है। अतः अपील स्वीकार की जावे।



विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि यदि हमारा एडवर्स पजेशन तो हमें Due proceses of Law से ही हमारा कब्जा हटाया जा सकता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 09.07.2014 में हमारा कब्जा काश्त बताया है। बजरंगलाल ने अपनी संतान में बंटवारा किया उसका दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है। बंटवारे में हमारे जो खसरा नम्बर खाते में आये हैं उसी आधार पर हमने बंटवारे का दावा किया है। मेरे भाई कान्ता प्रसाद ने वादग्रस्त आराजी बेची है जो बाहमी बंटवारे में मुझे मिली। जबकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त मेरा है, अतः बेचान गलत है। द्वितीय मौका रिपोर्ट दिनांक 16.05.2022 की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.06.2015 का अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है, बाहमी बंटवारा दिनांक 21.01.1991 का है और दिनांक 18.06.1991 की रजिस्ट्री है, जो बाद की है। अधीनस्थ न्यायालय में पजेशन का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। जो 2019 आर.आर.डी. पेज 418 पेश की है वह दावे पर लागू अस्थायी निषेधाज्ञा की अपील है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है अपील खारिज की जाये।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।


(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पवेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विवादित आराजी खसरा नं. 473 रकबा 1.59 हेक्टर, खसरा नं. 473/656 रकबा 0.60 हेक्टर आराजी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 ग्राम हापाहेडी, तहसील अन्ता के अनुसार अप्रार्थीगण अपीलांट के खाते दर्ज रिकार्ड है। यह आराजी अपीलांट ने जर्गे विक्रय पत्र दिनांक 18.06.1991 से प्रार्थी रेस्पोंडेंट के पिता बजरंगलाल पुत्र गजानन्द धाकड से 41000/- रुपये में कय की थी, विक्रय पत्र की फोटो प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है परन्तु प्रार्थी रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत सहमति बंटवारा (फोटोप्रति) दिनांक 24.01.1991 के अनुसार बजरंगलाल द्वारा अपने चारों पुत्रों में अपनी सम्पत्ति का जो सहमति बंटवारा किया था उसके अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 473 एवं 473/656 प्रार्थी रेस्पोंडेंट को प्राप्त होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार अन्ता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2022 एवं रिपोर्ट के साथ सलग्न विवादित आराजी के निकटवर्ती अन्य खातेदारान के बयान अनुसार विवादित आराजी पर प्रार्थी रेस्पोंडेंट का कब्जा काश्त होना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार विवादित आराजी अपीलांट के खाते दर्ज है, परन्तु तहसीलदार अन्ता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं विवादित आराजी के निकटवर्ती खातेदारों के बयान अनुसार विवादित आराजी पर प्रार्थी रेस्पोंडेंट का ही कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा किया है, जो वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रकरण की वर्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को पाबन्द करते हुए मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय पारित किया है। पक्षकारान के मध्य खातेदारी अधिकारों की घोषणा के विवाद का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल विवाद में होना है परन्तु पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के सन्दर्भ में भविष्य में होने वाले विवादों की बाहुलता को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पक्षकारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवादों की बाहुलता को ध्यान में रखते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


17/04/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा